न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
50 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	26.07.2016	24.02.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री रामकिशन शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प चौराहा के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 निवासी द्वारा दुर्गालाल शर्मा मित्र निवास पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प चौराहा के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2– अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 24.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2016 को समय 11.52 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प चौराहा के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री रामकिशन शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प चौराहा के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 निवासी द्वारा दुर्गालाल शर्मा मित्र निवास पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **मिल्क क्रीम लौ फैट खुली** (Milk Cream Low Fat Loose) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री राम[illegible] की गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु [illegible] द प्राप्त की जिस पर विक्रेता रामकिशन शर्मा एवं गवाह के [illegible] प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:17:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान मे एल्यूमिनियम के 40 लीटर क्षमता वाले केन मे लगभग 30 किलोग्राम **मिल्क कीम लौ फैट खुली** (Milk Cream Low Fat Loose) (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack) रखे हुये मे से 800 ग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकेता. श्री रामकिशन शर्मा को रू0 96/–अक्षरे छिनवे रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिल्क कीम लौ फैट खुली** (Milk Cream Low Fat Loose) खरीदशुद्वा 800 ग्राम को साफ व सूखे कॉच के जारो मे भरकर बाट मापक से नियमानुसार 200–200 ग्राम तुलवाकर चार जगह कर कॉच के जारो मे 16–16 बूंदे फार्मेलीन बतौर परिरक्षक की डालकर पुनः कॉच के जारो को नियमानुसार हिला मिलाकर एकरूप कर कॉच के जारो को एयर टाईट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1312 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1312 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता. रामकिशन शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2016/2489 दिनांक 21.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/180/एक्ट/2016/243 दिनांक 21.04.2016 अनुसार रामकिशन शर्मा से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मिल्क कीम लौ फैट खुली** (Milk Cream Low Fat Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(ii) के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **मिल्क कीम लौ फैट खुली** (Milk Cream Low Fat Loose) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया हैं जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:17:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिल्क कीम लौ फैट खुली** (Milk Cream Low Fat Loose) का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिल्क कीम लौ फैट खुली** (Milk Cream Low Fat Loose) का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रामकिशन शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प चौराहा के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 निवासी द्वारा दुर्गालाल शर्मा मित्र निवास पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

24-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:17:32 IST
Reason: SelfAttested